प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से.
मुख्य सचिव
PRATYAYA AMRIT, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel.: 0612-2215804, 2217085
E-mail:cs-bihar@nic.in

पत्रांक:-25/A.-17-149/2019/14-180/

पटना, दिनांक 05/10/26

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः- **पंचायत सरकार भवनों में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-8468 दिनांक 02.09.2022 एवं पत्रांक-8728 दिनांक 09.09.2022।

महाशय,

आप सभी अवगत हैं कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इन पंचायत सरकार भवनों की परिकल्पना मिनी सचिवालय के रूप में किया गया है, जहाँ सभी विभागों से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। इन पंचायत सरकार भवनों का उपयोग बहुउद्देशीय रूप से करने के निमित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए कार्यालय, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड एवं लोक सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र का भी प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में अबतक कुल 3215 पंचायत सरकार भवन निर्मित है। इन निर्मित पंचायत सरकार भवनों में पाँच विभागों के निम्नवत् पंचायत स्तरीय कर्मियों को उपस्थित रहकर कार्यों का निष्पादन अनिवार्य रूप से किया जाना है :-

1. राजस्व कर्मचारी-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
2. पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल, कार्यपालक सहायक-पंचायती राज विभाग।
3. पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक-ग्रामीण विकास विभाग।
4. किसान सलाहकार-कृषि विभाग।
5. विकास मित्र-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

इस संदर्भ में समीक्षोपरान्त यह संज्ञान में आया है कि राज्य के कई पूर्णरूपेण निर्मित एवं हस्तांतरित पंचायत सरकार भवनों में उपस्थित होकर इन कर्मियों द्वारा पंचायत स्तरीय कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है जिससे पंचायतों में आम–जनों को सभी विभागों के मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित पंचायत सरकार भवनों का बहुउद्देशीय रूप से उपयोग के उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हो पा रही है।

विदित हो कि पूर्व में भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों/पंचायत भवनों में पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सभी क्रियाकलाप किये जाने से संबंधित दिशा–निदेश निर्गत है।

ज्ञातव्य हो कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9630 दिनांक–01.06.2026 के माध्यम से यह निदेशित किया गया है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति पंचायत सरकार भवनों में अधिष्ठापित बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज किया जाय। उक्त दर्ज उपस्थिति के अनुसार ही इनके वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

अतएव सभी जिला पदाधिकारी अपने जिला अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के संबंधित कर्मियों का पंचायत सरकार भवन में प्रत्येक कार्यदिवस को उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही उनके कार्यों का सतत अनुश्रवण करते हुये यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी पंचायत सरकार भवनों/पंचायत भवनों में संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अपने कार्यों का निष्पादन करें।

अनुलग्नक :–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

5.10.2026

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांकः 2प/वि०–17–149/2019/14180/पं०रा० पटना, दिनांकः 05/10/26

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव